**<u>Bill No. 35 of 2023</u>**

# THE NATHDWARA TEMPLE (AMENDMENT) BILL, 2023

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

*A*

*Bill*

*further to amend the Nathdwara Temple Act, 1959.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title and commencement.-** (1) This Act may be called the Nathdwara Temple (Amendment) Act, 2023.

(2) It shall come into force at once.

**2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 13 of 1959.-** In clause (viii) of section 2 of the Nathdwara Temple Act, 1959 (Act No. 13 of 1959), hereinafter referred to as the principal Act, for the existing expression "Shri Navnitpriyaji and Shri Madan Mohanlalji", the expression "Shri Navnitpriyaji, Shri Madan Mohanlalji and Mukharvind located at Jatipura in the State of Uttar Pradesh including Baithakji situated at various places all over India, under the control of the Board" shall be substituted.

**3. Amendment of section 5, Rajasthan Act No. 13 of 1959.-** In section 5 of the principal Act,-

(a) in clause (i) of sub-section (1), -

(i) after the existing expression "the President," and before the existing the expression "the Collector", the expression "the eldest son of Goswami," shall be inserted;

(ii) for the existing punctuation mark ";" appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and after clause (i) so amended, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that the eleven other members shall be appointed by the State Government in consultation with Goswami. The Board shall forward names to the State Government equivalent to three times the number of vacancies and out of that the State Government shall appoint eleven members;";

(b) for the existing clause (iii), the following shall be substituted, namely:-

"(iii) The State Government shall, in consultation with the President of the Board, nominate a Vice President of the Board from amongst the members of the Board;"; and

(c) after clause (iii) so substituted, the following new clause shall be added, namely:-

"(iv) The eldest son of Goswami shall be the ex-officio member of the Board, if he is not otherwise disqualified and is willing to serve as such. This shall be in addition to the eleven other members nominated by the State Government under clause (i).".

**4. Amendment of section 9, Rajasthan Act No. 13 of 1959.-** In section 9 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1), after the existing expression "shall be filled up" and before the existing expression "by the State Government", the expression ",in consultation with President," shall be inserted;

(b) for the existing sub-section (2), the following shall be substituted, namely:-

"(2) A casual vacancy in the office of President shall be filled up by the State Government by way of nomination of eldest son of the President:

Provided that where the eldest son is minor, the wife of the President and in the event of the wife being not alive eldest major daughter of the President shall be appointed as President of the Board who shall hold the office of the President till the eldest son of the President attains majority. The eldest son, on attaining the majority, shall be appointed as the President of the Board:

Provided further that where the President does not have any son, then brother of the President shall be the President. In the absence of a brother, the wife of the President and in the event the wife is not alive then eldest major daughter shall be appointed as temporary President. In such contingency the wife or the eldest daughter of the President, as the case may be, shall have to select a male, to be appointed as President of the Board, from Tilkayat Lineage, in the absence of which, from Vallabh-Kul Lineage within three months of becoming temporary President.".

**5. Amendment of section 10, Rajasthan Act No. 13 of 1959.-** In sub-section (3) of section 10 of the principal Act,-

(a) for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted; and

(b) after sub-section (3) so amended, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that the person so appointed by the State Government shall be from Tilkayat Lineage and the State Government shall constitute the Board within a period of three months from the date of such dissolution.".

**6. Amendment of section 17, Rajasthan Act No. 13 of 1959.-** In sub-section (2) of section 17 of the principal Act,-

(a) for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted; and

(b) after sub-section (2) so amended, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that where the Board intends to lease its land for the purpose of setting up a solar power plant or any other power plant for generation of green energy. Such lease, with the previous sanction of the State Government shall be granted as per provisions of the Rajasthan Land Revenue (Allotment of land for setting up of power based on renewable energy sources) Rules, 2007.".

**7. Amendment of section 18A, Rajasthan Act No. 13 of 1959.-** For the existing section 18A of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**18A. Constitution of Executive Committee and other Committees.-** (1) For the efficient and proper performance of the day to day secular duties relating to the temple the State Government shall constitute an Executive Committee consisting of the President, Vice President and one other member to be nominated by State Government.

(2) The President shall be the Chairman of the Executive Committee.

(3) Subject to the general superintendence of the Board, the Executive Committee shall control the day to day secular affairs relating to the temple and shall, for this purpose issue general or special directions to the Chief Executive Officer.

(4) The Board may constitute such other committees for carrying out day to day affairs, as may be specified by the Board in its resolution. It shall be open for the Board to

authorize the President to constitute the committee. Each committee so constituted shall consist of three members out of which two shall be the members of the Board and one shall be co-opted by the President of the Board.”.

**8. Amendment of section 19, Rajasthan Act No. 13 of 1959.-** After the existing sub-section (5) of section 19 of the principal Act, the following new sub-section (6) shall be added, namely:-

“(6) The tenure of Chief Executive Officer may ordinarily be of three years. The State Government in consultation with the President of the Board may extend the tenure of Chief Executive Officer:

Provided that where the Board passes a resolution for removal of Chief Executive Officer before the expiry of three years, the State Government shall appoint another person as Chief Executive Officer in accordance with sub-section (1).”.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

To provide for the better administration and governance of the temple of Shri Shrinathji at Nathdwara and Mukharvind located at Jatipura in the State of Uttar Pradesh including Baithakji situated at various places all over India under the control of the Board, the Nathdwara Temple Board has approached the State Government for making certain amendments for betterment of Board administration and better management of the land and properties vested in the Board and temple. For this purpose certain amendments in the Nathdwara Temple Act, 1959 are being proposed for composition of the Board and committees and leasing out the land and properties for renewable energy purposes.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

शकुन्तला रावत,

**Minister Incharge**.

# EXTRACTS TAKEN FROM THE NATHDWARA TEMPLE ACT, 1959
## (Act No. 13 of 1959)

XX XX XX XX XX

**2. Definitions.-** In this Act unless the subject or context otherwise requires.-

(i) to (vii) xx xx xx xx

(viii) 'temple ' means the temple of Shri Shrinathji at Nathdwara in Rajsamand District and includes the temple of Shri Navneetpriyaji and Shri Madan Mohanji together with all additions thereto or all alterations thereof which may be made from time to time after the commencement of this Act.

XX XX XX XX XX

**5. Composition of the Board.-** (1) (i) The Board shall consist of the president, the Collector of the Rajsamand District and eleven other members;

(ii) xx xx xx xx

(iii) The State Government shall nominate a Vice-President of the Board from amongst the members of the Board.

(2) to (4) xx xx xx xx

**9. Filling up of casual vacancy.-** (1) Casual vacancies in the office of the Vice-President or any member of the Board, other than *ex-officio* member caused by death, resignation, removal or otherwise shall be filled up by the State Government by appointment of the persons who are not disqualified under sub-section (2) of section 5.

(2) A causal vacancy in the office of the president caused by death, resignation, minority or otherwise shall be filled up by the State Government.

**10. Dissolution and reconstitution of the Board.-** (1) to (2) xx xx xx xx

(3) Where the Board is dissolved under this section, the State Government shall appoint a person to perform the functions and exercise the power of the Board until the constitution of another Board in accordance with the provisions of this Act.

(4) xx xx xx xx

XX XX XX XX XX

**17. Alienation of movable and immovable properties.-** (1) xx xx

(2) No immovable property including land vested in the Board as aforesaid shall be leased for more than five years or mortgaged, sold or otherwise alienated without the previous sanction of the State Government .

XX XX XX XX XX

**18A. Constitution of Executive Committee.-** (1) For the efficient and proper performance of the day to day secular duties relating to the temple, the State Government shall constitute an Executive Committee consisting of the Vice- President and two other members to be nominated by State Government.

(2) The Vice-President shall be the Chairman of the Executive Committee.

(3) Subject to the general superintendence of the Board, the Executive Committee shall control the day to day secular affairs

relating to the temple and shall for this purpose issue general or special direction to the Chief Executive Officer.

XX XX XX XX XX

**2023 का विधेयक सं. 35**

**प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)**

**नाथद्वारा मन्दिर संशोधन) विधेयक, 2023**

**जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)**

नाथद्वारा मन्दिर अधिनियम, 1959 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** 1) इस अधिनियम का नाम नाथद्वारा मन्दिर संशोधन) विधेयक, 2023 है।

2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

**2. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 2 का संशोधन.-** नाथद्वारा मन्दिर अधिनियम, 1959 1959 का अधिनियम सं. 13), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के खण्ड viii) में विद्यमान अभिव्यक्ति श्री नवनीतप्रियजी तथा श्री मदनमोहनलालजी के स्थान पर अभिव्यक्ति श्री नवनीतप्रियजी, श्री मदनमोहनलालजी और सम्पूर्ण भारत में बोर्ड के नियंत्रण के अधीन विभिन्न स्थानों पर अवस्थित बैठकजी सहित उत्तर प्रदेश राज्य के जतीपुरा में स्थित मुखारविन्द प्रतिस्थापित की जायेगी।

**3. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 5 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 5 में,-

क) उप-धारा 1) के खण्ड i) में,-

i) विद्यमान अभिव्यक्ति एक अध्यक्ष, के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति राजसमंद जिले का से पूर्व अभिव्यक्ति गोस्वामी का ज्येष्ठतम पुत्र अंत:स्थापित की जायेगी;

ii) अन्त में आये विद्यमान विराम चिन्ह ;के स्थान पर विराम चिन्ह : प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित खण्ड i) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु राज्य सरकार द्वारा ग्यारह अन्य सदस्य गोस्वामी के परामर्श से नियुक्त किये जायेंगे। बोर्ड, रिक्तियों की संख्या के तीन गुने के समतुल्य नाम सरकार को अग्रेषित करेगा और उनमें से राज्य सरकार ग्यारह सदस्यों को नियुक्त करेगी;";

ख) विद्यमान खण्ड iii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" iii) राज्य सरकार, बोर्ड के अध्यक्ष के परामर्श से, बोर्ड के सदस्यों में से बोर्ड का एक उपाध्यक्ष नामनिर्देशित करेगी;"; और

ग) इस प्रकार प्रतिस्थापित खण्ड iii) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

" iv) गोस्वामी का ज्येष्ठतम पुत्र, यदि वह अन्यथा निरर्हित नहीं है और इस रूप में सेवा करने का इच्छुक है, बोर्ड का पदेन सदस्य होगा। यह खण्ड i) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित ग्यारह सदस्यों के अतिरिक्त होगा।"।

**4. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 9 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 9 में,-

(क) उप-धारा 1) में विद्यमान अभिव्यक्ति राज्य सरकार के पश्चात् और उस रिक्त पद से पूर्व अभिव्यक्ति ,अध्यक्ष के परामर्श से, अंत:स्थापित की जायेगी।

(ख) विद्यमान उप-धारा 2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" 2) अध्यक्ष के पद की कोई आकस्मिक रिक्ति राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष के ज्येष्ठतम पुत्र के नामनिर्देशन के माध्यम से भरी जायेगी:

परन्तु जहां, ज्येष्ठतम पुत्र अवयस्क हो, वहां अध्यक्ष की पत्नी और पत्नी के जीवित न होने की दशा में, अध्यक्ष की ज्येष्ठतम वयस्क पुत्री बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की जायेगी, जो अध्यक्ष के ज्येष्ठतम पुत्र के वयस्कता प्राप्त करने तक अध्यक्ष का पद धारण करेगी। ज्येष्ठतम पुत्र को, वयस्कता प्राप्त करने पर, बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जायेगा:

परन्तु यह और कि जहां, अध्यक्ष का कोई पुत्र नहीं हो, वहां अध्यक्ष का भाई अध्यक्ष होगा। किसी भाई के नहीं होने पर, अध्यक्ष की पत्नी और पत्नी के जीवित नहीं होने की स्थिति में ज्येष्ठतम वयस्क पुत्री अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की जायेगी। ऐसी आकस्मिता में, अस्थाई अध्यक्ष बनने के तीन मास के भीतर-भीतर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किये जाने के लिए, अध्यक्ष की पत्नी या, यथास्थिति, ज्येष्ठतम वयस्क पुत्री को तिलकायत वंश में से, जिसकी अनुपस्थिति में, वल्लभ-कुल वंश में से एक पुरुष का चयन करना होगा।"।

**5. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 10 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा 3) में, -

(क) अन्त में आये विराम चिह्न □।□ के स्थान पर विराम चिह्न □:□ प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ख) इस प्रकार संशोधित उप-धारा 3) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा:-

"परन्तु राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति तिलकायत वंश से होगा और राज्य सरकार ऐसे विघटन की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर-भीतर बोर्ड का गठन करेगी।"।

**6. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 17 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा 2) में, -

(क) अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न ।के स्थान पर विराम चिह्न : प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ख) इस प्रकार संशोधित उप-धारा 2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

परन्तु जहां बोर्ड, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने या हरित ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोई अन्य शक्ति संयंत्र स्थापित करने के प्रयोजन के लिए उसकी भूमि को पट्टे पर देने का आशय रखता है। वहां राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ऐसा पट्टा राजस्थान भू-राजस्व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित शक्ति संयंत्रों की स्थापना के लिए भूमि का आवंटन) नियम, 2007 के उपबंधानुसार पट्टा प्रदान किया जायेगा।"।

**7. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं.13 की धारा 18क का संशोधन.-** मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 18क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

**18क. कार्यकारिणी समिति और अन्य समितियों का गठन.-** 1) मन्दिर से सम्बन्धित दिन-प्रतिदिन के लौकिक कर्तव्यों के कुशल और समुचित पालन के लिये राज्य सरकार एक कार्यकारिणी समिति गठित करेगी जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाला एक अन्य सदस्य होगा।

2) अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति का सभापति होगा।

3) बो र्ड के साधारण अधीक्षण के अध्यधीन, कार्यकारिणी समिति मन्दिर सम्बन्धी दिन-प्रतिदिन के लौकिक कार्यों का नियंत्रण करेगी और इस प्रयोजन के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी को साधारण या विशेष निदेश जारी करेगी।

4) बोर्ड दिन -प्रतिदिन के मामलों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसी अन्य समितियों का गठन कर सकेगा जैसाकि बोर्ड द्वारा अपने संकल्प में विनिर्दिष्ट किया जाये। बोर्ड, समिति के गठन के लिए अध्यक्ष को प्राधिकृत करने के लिए स्वतंत्र होगा। इस प्रकार गठित प्रत्येक समिति तीन सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें से दो बोर्ड के सदस्य होंगे और एक अध्यक्ष द्वारा सहयोजित होगा।”।

**8. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 19 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 19 की विद्यमान उप-धारा 5) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा 6) जोड़ी जायेगी, अर्थात्: -

6) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की पदावधि सामान्यत: तीन वर्ष होगी। राज्य सरकार, बोर्ड के अध्यक्ष के परामर्श से मुख्य कार्यपालक अधिकारी की पदावधि बढ़ा सकती है:

परन्तु जहां बोर्ड, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को हटाये जाने का संकल्प तीन वर्ष की समाप्ति से पूर्व पारित करता है,

वहां राज्य सरकार उप-धारा  1) के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी।"।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

नाथद्वारा में श्री श्रीनाथजी मन्दिर और सम्पूर्ण भारत में बोर्ड के नियंत्रण के अधीन विभिन्न स्थानों पर अवस्थित बैठकजी सहित उत्तर प्रदेश राज्य के जतीपुरा में स्थित मुखारविन्द के बेहतर प्रशासन और शासन का उपबंध करने के लिए, नाथद्वारा मन्दिर बोर्ड ने बोर्ड प्रशासन के सुधार और बोर्ड तथा मन्दिर में निहित भूमि और संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन हेतु कतिपय संशोधनों के लिए राज्य सरकार से आग्रह किया है। इस प्रयोजन के लिए बोर्ड और समिति की संरचना और भूमि और संपत्ति को नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोजनों के लिए पट्टे पर देने के लिए नाथद्वारा मन्दिर अधिनियम, 1959 में कतिपय संशोधन प्रस्तावित किए जा रहे हैं।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

शकुन्तला रावत,

**प्रभारी मंत्री।**

## नाथद्वारा मन्दिर अधिनियम, 1959 1959 का अधिनियम सं. 13) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

**2. परिभाषाएं.-** i) से vii) xx xx xx

viii) ''मन्दिर'' से राजसमंद जिले में नाथद्वारा में स्थिति श्री श्रीनाथ जी का मन्दिर अभिप्रेत है और इसमें श्री नवनीतप्रियजी तथा श्री मदनमोहनलालजी के मन्दिर तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् समय-समय पर उनमें किये गये समस्त परिवर्धन अथवा समस्त परिवर्तन भी सम्मिलित हैं।

XX XX XX XX XX

**5. बोर्ड की संरचना.-** 1) i) बोर्ड में एक अध्यक्ष, राजसमंद जिले का कलैक्टर तथा ग्यारह अन्य सदस्य होंगे;

ii) xx xx xx xx xx

iii) राज्य सरकार बोर्ड के सदस्यों में से बोर्ड का एक उपाध्यक्ष नाम निर्देशित करेगी।

XX XX XX XX XX

**9. आकस्मिक रिक्ति का भरा जाना.-** 1) यदि मृत्यु, त्याग-पत्र, हटाये जाने अथवा अन्य कारण से, बोर्ड के पदेन सदस्य से भिन्न उसके उपाध्यक्ष या किसी सदस्य का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो गया हो तो राज्य सरकार उस रिक्त पद को ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करके भरेगी जो धारा 5 की उप-धारा 2) के अधीन निरर्हित न हों।

2) यदि मृत्यु, त्यागपत्र, अवयस्कता या अन्य कारण से अध्यक्ष का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो गया हो तो वह राज्य सरकार द्वारा भरा जायेगा।

XX XX XX XX XX

**10. बोर्ड का विघटन और पुनर्गठन.-** 1) से 2) xx xx

3) जब बोर्ड का इस धारा के अधीन विघटन हो जाय तब राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अन्य बोर्ड के गठन होने तक, बोर्ड के कृत्यों का पालन करने और शक्तियों का प्रयोग करने के लिये एक व्यक्ति को नियुक्त करेगी।

XX XX XX XX XX

**17. चल तथा अचल सम्पत्तियों का अन्य संक्रामण.-** 1) xx xx

2) उपर्युक्त रूप से बोर्ड में निहित भूमि की कोई भी अचल सम्पत्ति जिसमें भूमि भी सम्मिलित है राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना पांच वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए पट्टे पर नहीं दी जायेगी अथवा बंधक नहीं रखी जायेगी, बेची नहीं जायेगी अथवा उसका अन्यथा अन्य संक्रामण नहीं किया जायेगा।

XX XX XX XX XX

**18क. कार्यकारिणी समिति का गठन.-** 1) मन्दिर से सम्बन्धित दिन-प्रतिदिन के लौकिक कर्तव्यों के कुशल और समुचित पालन के लिये राज्य सरकार एक कार्यकारिणी समिति गठित करेगी जिसमें उपाध्यक्ष तथा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित दो अन्य सदस्य होंगे।

2) उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति का सभापति होगा।

3) बोर्ड के साधारण अधी क्षण के अध्यधीन, कार्यकारिणी समिति मन्दिर सम्बन्धी दिन-प्रतिदिन के लौकिक कार्यों का नियंत्रण करेगी और तत्प्रयोजनार्थ मुख्य कार्यपालक अधिकारी को साधारण या विशेष निदेश जारी करेगी।

XX XX XX XX XX

**Bill No. 35 of 2023**

# THE NATHDWARA TEMPLE (AMENDMENT) BILL, 2023

**(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)**

**RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY**

---

*A*

*Bill*

*further to amend the Nathdwara Temple Act, 1959.*

---

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

---

MAHAVEER PRASAD SHARMA,
**Principal Secretary.**

(Shakuntla Rawat, **Minister-Incharge**)

**<u>2023 का विधेयक सं.35</u>**

# नाथद्वारा मन्दिर संशोधन) विधेयक, 2023

**(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)**

**राजस्थान विधान सभा**

---

नाथद्वारा मन्दिर अधिनियम, 1959 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

---

**(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)**

---

महावीर प्रसाद शर्मा,
**प्रमुख सचिव।**

(शकुन्तला रावत, **प्रभारी मंत्री)**